

पत्रांक:

/आयुक्त0उत्तरा0/फार्म-अनु0/2011-12/केन्द्रीय फार्म-सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म-अनुभाग)

देहरादून::दिनांक:: || जनवरी, 2012

### विज्ञापित

केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली-2006 के नियम-8 के उपनियम-13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ।

| क्र0<br>स0 | व्यापारी का नाम व पता                                                      | खोये/चोरी/नष्ट हुए<br>फार्मों की संख्या | खोये/चोरी/नष्ट हुए<br>फार्मों की सीरीज/क्रमांक |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1-         | सर्वश्री टैक्सप्लास लाईफस्टाइल इण्डिया प्रा0लि0, बहादुरपुर सैनी, हरिद्वार। | (Form-C)--03                            | U.K.VAT/C2007-<br>1192357 to 1192359           |

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।

पृ0प0संख्या

73/6

विज्ञापित हेतु प्रेषित।

1. उत्तराखण्ड-देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी/कुमायूँ/गढ़वाल/जोधपुर/राजस्थान-जोधपुर/झारखण्ड-रौंघी/छत्तीसगढ़-रायपुर/पश्चिमीबंगाल-कोलकता/बिहार-पटना/उत्तरप्रदेश-लखनऊ/उड़ीसा-कटक/पंजाब-पटियाला/हरियाणा-चंडीगढ़/हिमान्चलप्रदेश-शिमला/आसाम-गोहाटी/सिक्किम-गंगटोक/मणिपुर-इम्फाल/नागालैंड-दीमापुर/अरुणान्चलप्रदेश-इटानगर/त्रिपुरा-अगरतला/मिजोरम-एजवाल/मेघालय-सिलोंग/गोवा-पनजी/न्यूदिल्ली/पॉडिचेरी/मध्य प्रदेश-इन्दौर/जम्बू-कश्मीर।
2. उप निदेशक,राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित कि इसे गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड,देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमायूँजोन रुद्रपुर।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधिक्षेत्रा के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करें।
6. श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-6, देहरादून/ web. information officer NIC को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून।